अ० शा० प० सं० 2332/ब्यूरो/75-31 (75)/75

भक्तिदेव देव मुकर्जी
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग,
लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 1975-

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक उद्योगों, सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय भार की वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उनके आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में निर्दिष्ट आर्टिकिल्स को सम्मिलित करने विषयक न्याय (कन्वेयंसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415/सात-जी०सी०-75, दिनांक 29 जुलाई 1975 (प्रतिलिपि सुगम संदर्भ संलग्न है) का अवलोकन करें।

2--इस संबंध में मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है कि संबंधित सार्वजनिक उद्योग के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में उक्त आर्टिकिल्स सम्मिलित करने के उपरान्त आप कृपया इसका सूचना सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग को भी देने का कष्ट करें।

3--जिन सार्वजनिक उद्योगों को न्याय विभाग का उक्त पत्र न भेजा गया हो, वे भी तदनुसार कार्यवाही करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत करा देने की कृपा करें।

सादर:

संलग्नक-न्याय विभाग का उक्त पत्र

भवदीय,
भक्ति देव मुखर्जी।
उप-सचिव

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के
प्रबन्ध निदेशकगण (नाम से)।

संख्या 2332 (1) ब्यूरो/75-31 (75)/75--तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं को, न्याय (कन्वेयंसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415-सात-जी०सी०/75, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के संदर्भ में, इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने उप-विधियों में तद्नुसार संशोधन करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
भक्ति देव मुखर्जी,
उप-सचिव।